अपील के दौरान आपके अधिकार

"पर्याप्त नोटिस" का अधिकार

आपको लिखित नोटिस प्राप्त करने का अधिकार है जो सरल, स्पष्ट और गैर-तकनीकी भाषा में है। नोटिस आपकी पसंदीदा भाषा में और यदि आपके पास अधिकृत प्रतिनिधि है, तो उनकी पसंदीदा भाषा में प्रदान किया जाना चाहिए।

आपके द्वारा चुने गए तरीके से सूचना प्राप्त करने का अधिकार

आपके पास डाक, ईमेल या आपके द्वारा चुनी गई अन्य विधि द्वारा सूचना प्राप्त करमे का अधिकार है।

रीजनल सेंटर के प्रस्तावित निर्णय या कार्रवाई के खिलाफ अपील करने का अधिकार

यदि आप रीजनल सेंटर द्वारा लिए गए निर्णय अथवा की गई कार्रवाई से असहमत हैं तो आपको अपील दायर करने का अधिकार है। अपील अनुरोध निर्णय या कार्रवाई की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

अपनी मौजूदा सेवाएं बनाए रखने का अधिकार

आपको अपनी योग्यता या अपील के दौरान वर्तमान में प्राप्त होने वाली सेवाओं को जारी रखने का अधिकार है। इसे "लंबित भुगतान सहायता" कहा जाता है। अपनी मौजूदा सेवाओं को बनाए रखने के लिए, आपका अपील अनुरोध DDS को उसके 30 दिन बाद और कार्रवाई से पहले मिला हो या डाक मोहर लगी हो, जब आपको अपना कार्रवाई सूचना (NOA) मिली थी।

अपने रिकॉर्ड तक पहुंच का अधिकार

आपको अपने बारे में रीजनल सेंटर के रिकॉर्ड तक पहुंच का अधिकार है। इसका मतलब है कि आप अपने रीजनल सेंटर के रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपको अपने रिकॉर्ड की एक प्रति भी मिल सकती है। रीजनल सेंटर प्रतियां बनाने की वास्तविक लागत के लिए आपसे शुल्क ले सकते हैं। यदि आप रिकॉर्ड के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो अपने रीजनल सेंटर को बताएं और पूछें कि बिना किसी लागत के अपने रिकॉर्ड की प्रतियां कैसे प्राप्त की जा सकती है। आपको अपने अनुरोध के 3 कार्य दिवसों के अंदर अपने रिकॉर्डों तक पहुंच प्राप्त कर लेनी चाहिए।

अपील प्रक्रिया में आपकी भागीदारी तय करने का अधिकार

आप चुन सकते हैं कि आप अपील प्रक्रिया के कौन से भाग (भागों) का उपयोग करना चाहते हैं। आपकी पसंद अनौपचारिक बैठक, मध्यस्थता या सुनवाई हो सकती है। आप इनमें से किसी एक या सभी भागों का उपयोग करना चुन सकते हैं। आप यह भी चुन सकते हैं कि अनौपचारिक बैठक, मध्यस्थता या सुनवाई में कैसे भाग लिया जाए: फोन, वीडियो या व्यक्तिगत रूप से। आप इनमें से किसी या सभी प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए अपने अपील अनुरोध में कभी भी संशोधन कर सकते हैं।

सुविधाजनक समय और स्थान चुनने का अधिकार

आपके पास अपनी अनौपचारिक बैठक, मध्यस्थता और सुनवाई के लिए एक समय और स्थान पर होने का अधिकार है जिसमें आप भाग ले सकते हैं।

सहायता या समर्थन का अधिकार

आपको यह अधिकार है कि कोई आपकी सहायता या समर्थन करे। यह कोई अटॉर्नी या अन्य व्यक्ति हो सकता है। यह व्यक्ति आपका अधिकृत प्रतिनिधि, या कोई मित्र या परिवार का सदस्य हो सकता है। यदि आप सहमत हैं, तो आपके अधिकृत प्रतिनिधि को आपकी अपील के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।

आप अपनी अपील की तैयारी के लिए किसी अटॉर्नी या किसी अन्य व्यक्ति से मदद मांग सकते हैं। आपकी अपील के किसी भी हिस्से में आपके पास एक अटॉर्नी भी शामिल हो सकता है। यदि अनौपचारिक बैठक, मध्यस्थता, या सुनवाई में भाग लेने के लिए आपका कोई अटॉर्नी है तो अपने रीजनल सेंटर को पहले ही बताना आवश्यक है। रीजनल सेंटर की ओर से अपील के किसी भी हिस्से में भाग लेने के लिए कोई अटॉर्नी तब तक उपस्थित नहीं हो सकता है, जब तक कि आपको कोई अटॉर्नी न हो या आप खुद अटॉर्नी हों।

और अधिक समय के अनुरोध का अधिकार

यदि आपको अधिक समय चाहिए, तो आप अधिक समय के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसे निरंतरता कहा जाता है। निरंतरता आपकी अपील के समाधान के लिए समय बढ़ा सकती है, और सुनवाई होने से पहले अनुरोध किया जाना चाहिए।

पहली बार जब आप जारी रखने का अनुरोध करते हैं, तो आपको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आगे और निरंतरता का अनुरोध करते हैं, तो आपको अपने अनुरोध के लिए कारण बताना होगा (इसे "अच्छा कारण" कहा जाता है)।

किसी अन्य मध्यस्थ या हियरिंग ऑफिसर के लिए अनुरोध करने का अधिकार

यदि आपको लगता है कि वे निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं तो आप किसी अन्य मध्यस्थ या हियरिंग ऑफिसर से अनुरोध कर सकते हैं। मध्यस्थता या सुनवाई शुरू होने से पहले आपको यह करना होगा और अपने अनुरोध का कारण बताना होगा।

अपील में भाग लेने का अधिकार

आपको अपील के सभी हिस्सों में शामिल होने का अधिकार है।

सुनवाई जनता के सामने हो यह निर्णय लेने का अधिकार

सुनवाई में आम जनता भाग ले सकती हैं। यदि आप नहीं चाहते कि जनता आपकी सुनवाई में शामिल हो, तो हियरिंग ऑफिसर को बताएं कि आप सुनवाई बंद करना चाहते हैं। आप इसे सुनवाई से पहले लिखित रूप में, या सुनवाई शुरू होने से पहले लिखित रूप में या मौखिक रूप से कर सकते हैं।

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

आपको अपनी सुनवाई के समय स्वतंत्रतापूर्वक और खुलकर बोलने का अधिकार है। हियरिंग ऑफिसर तथ्यों को साझा करने में आपकी और रीजनल सेंटर की मदद करेगा।

<u>दुभाषिया मांगने का अधिकार</u>

यदि आपकी पसंदीदा भाषा अंग्रेजी नहीं है, तो आपको एक ऐसे दुभाषिए पाने का अधिकार है जो प्रभावी, सटीक और निष्पक्ष रूप से व्याख्या करने में सक्षम हो। आप अपने अपील अनुरोध फॉर्म पर दुभाषिए की मांग कर सकते हैं। दुभाषिया, आपकी अपील के सभी हिस्सों में प्रदान किया जाएगा।

<u>हियरिंग ऑफिसर को जानकारी देने का अधिकार</u>

आप अपनी अपील के समर्थन में हियरिंग ऑफिसर को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस जानकारी को साक्ष्य कहा जाता है। आप और आपके द्वारा चुने गए अन्य लोग मौखिक रूप से यरिंग ऑफिसर को जानकारी दे सकते हैं। ये लोग साक्षी कहलाते हैं। आप सुनवाई कार्यालय को लिखित दस्तावेज़ भी प्रदान कर सकते हैं।

रीजनल सेंटर की स्थिति का वक्तव्य और साक्ष्य आपकी पसंदीदा भाषा में होने चाहिए, और यदि आपका कोई अधिकृत प्रतिनिधि है तो उसकी पसंदीदा भाषा में होने चाहिए। यदि रीजनल सेंटर इन दस्तावेज़ों का अनुवादित संस्करण प्रदान नहीं कर सकता है, तो वे आपको सूचित करेंगे, अंग्रेजी में एक प्रति प्रदान करेंगे, और दस्तावेज़ों के अनुवाद के अपने प्रयासों के साक्ष्य के साथ इसे जारी रखने का अनुरोध करेंगे। आपको अपनी सुनवाई से कम से कम दो कार्य दिवस पहले यह जानकारी प्राप्त करनी होगी।

<u>रीजनल सेंटर के गवाहों से प्रश्न पूछने का अधिकार</u>

सुनवाई के दौरान रीजनल सेंटर अपने गवाहों की गवाही करवा सकता है। आपको रीजनल सेंटर के गवाहों से प्रश्न पूछने का अधिकार है।